

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- देवेन्द्र कुमार  
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 30/2024

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय-19-ए, ध्रुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान बैंक के कार्यालय जी-18, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

बनाम



...प्रार्थी

1. मुरारी लाल सैनी (बोरोवर) पता- पामाडया की ढाणी, आभानेरी जिला दौसा (राज0) 303326
2. श्रीमती सुनीता देवी (को- बोरोवर) पता- पामाडया की ढाणी, आभानेरी जिला दौसा (राज0) 303326 अन्य पता खसरा नम्बर 290, 293 व 294 ग्राम आभानेरी, पटवार हल्का आभानेरी, पामाडया की ढाणी, बसवा जिला दौसा (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलवाने हेतु।

उपस्थित: श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 20.05.2024

1. प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण मुरारी लाल सैनी व अन्य को दिनांक 15.11.2022 को 5,00,000/- रुपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.-5 में वर्णित संपत्ति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक में बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.11.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 15.11.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 4,96,136/- रुपये निकलते हैं जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 17.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण प्रशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपत्ति जिसको कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या-5 में दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में

Devard  
जिला कलेक्टर, दौसा

बंधक रखी गई सम्पत्ति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या-5 में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म कृषि है परन्तु भूखंड पर पुख्ता मकान का निर्माण हो रहा है एवं अप्रार्थी पर एस्टोपल के सिद्धान्त लागू होते हैं एवं उसके द्वारा अपने विक्रय पत्र में स्वीकारे गये तथ्यों से वह भिन्न तर्क नहीं दे सकता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा पारित न्याय निर्णय के श्रीधर बनाम मैसर्स रउस कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. में पारित निर्णय दिनांक 5.1.2023, इंडियन बैंक एवं अन्य बनाम के.पपीरेडियार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.7.2018, आईटीसी लिमि. बनाम ब्ल्यू कोस्ट होटल्स लि. में पारित निर्णय दिनांक 19 मार्च 2018 की प्रति प्रस्तुत की गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।
4. जिस भूमि पर यह ऋण दिया गया है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है जिसका मालिकाना हक एवं भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है एवं उक्त भूमि काश्तकार को काश्त करने हेतु भूमिधारी द्वारा प्रदान की गई है। भूमिधारी एवं काश्तकार के मध्य अनुबंध मुख्यतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित किये गये है। इसी की निरन्तरता में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 अवलोकनीय है जिसमें काश्तकार द्वारा भूमिधारी द्वारा जिस विधिक प्रयोजनार्थ उसे भूमि के उपयोग अनुमत किया गया है। उसकी अवहेलना करने पर काश्तकार को उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क में कृषि प्रयोजन हेतु कृषि भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि या भूमि का भाग हस्तान्तरित किया गया हो, उस भूमि को या उसके किसी भाग को उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए काम में नहीं लिया जावेगा सिवाय जबकि वह राज्य सरकार से इसके पश्चात बताये तरीके के अनुसार अनुमति प्राप्त न कर ले।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे समक्ष यह स्पष्ट है कि कोई कृषि भूमि धारक बिना राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन बिना अनुमति प्राप्त किये उक्त भूमि का अकृषक उपयोग नहीं कर सकता। अतः इस भूमि को बंधक रखा जाना सरफेसी अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रतिबंधित है।
6. अतः प्रार्थी ए.यू.स्माल फाईनेंस बैंक लि0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 20 मई, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



*Devedra*  
(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलक्टर, दौसा  
जिला कलक्टर, दौसा